

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 36/2019

प्रार्थी
तहसीलदार भू.अ. सायला
जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थी

श्री जवाराराम पुत्र नोका वगैरह
जातियान पुरोहित निवासी भूण्डवा

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित- 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मैपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरों के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत कि ग्राम भूण्डवा की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 408/865 रकबा 0.01 हे., नोका जामता पि. अदरा 1/2 लछा वल्द आसा 1/2 कौम पुरोहित सा. मेंगलवा खातेदार रहन नोका वल्द अदरा का हि.एमजीबी मेंगलवा के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2069-72 में भी उक्त खसरा नम्बर 408/865 रकबा 0.01 हे. में जूवाराराम मंगलाराम पि.नोका अशोककुमार गणपतलाल पि.बलवंताराम गीता नारंगी पुत्रियां बलवंताराम उगीदेवी पत्नी स्व.बलवंताराम गणपतलाल गीता नारंगी नाबा की वली माता उगीदेवी पत्नी स्व. बलवंताराम भूरीदेवी बेवा नोका 1/2 गुमानमल वल्द लछा डेलीदेवी बेवा लछा 1/2 कौम पुरोहित सा.मेंगलवा खातेदार दर्ज है। पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोमीया ट्रेस एवं शीट में खसरा नम्बर 408/865 की बजाय 409/865 अंकित है। चूंकि खसरा नम्बर 409/865 गै.मू.बेरा का खसरा है एवं उक्त बेरा खसरा नम्बर 409 में ही अवस्थित है लिहाजा मिसल बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी में खसरा नम्बर 408/865 की बजाय 409/865 संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त में 408/865 गलत दर्ज हुआ है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार मिसल बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 409/865 दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम भूण्डवा के खसरा नम्बर 408/865 की बजाय 409/865 रेकॉर्ड शुद्धि मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी में शुद्ध किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होने का सहमती पत्र दिया गया है।

13

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के संयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण का सहमती पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम भूण्डवा की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 408/865 रकबा 0.01 हे., नोका जामता पि. अदरा 1/2 लछा वल्द आसा 1/2 कौम पुरोहित सा. मंगलवा खातेदार रहन नोका वल्द अदरा का हि. एमजीवी मंगलवा के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2069-72 में भी उक्त खसरा नम्बर 408/865 रकबा 0.01 हे. में जूवाराराम मंगलाराम पि.नोका अशोककुमार गणपतलाल पि. बलवंताराम गीता नारंगी पुत्रियां बलवंताराम उगीदेवी पत्नी स्व.बलवंताराम गणपतलाल गीता नारंगी नाबा की वली माता उगीदेवी पत्नी स्व. बलवंताराम भूरीदेवी बेवा नोका 1/2 गुमानमल वल्द लछा ढेलीदेवी बेवा लछा 1/2 कौम पुरोहित सा.मंगलवा खातेदार दर्ज है। पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोभीया ट्रेस एवं शीट में खसरा नम्बर 408/865 की बजाय 409/865 अंकित है। चूंकि खसरा नम्बर 409/865 गै.मूबेरा का खसरा है एवं उक्त बेरा खसरा नम्बर 409 में ही अवस्थित है लिहाजा मिसल बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी में खसरा नम्बर 408/865 की बजाय 409/865 संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त में 408/865 गलत दर्ज हुआ है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भूण्डवा के मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 408/865 के बजाय 409/865 दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत हैं तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार पर सरहद मोजा भूण्डवा मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2069-72 खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 408/865 के स्थान पर खसरा नम्बर 408/865 की दुरुस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा भूण्डवा की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 408/865 के स्थान पर 409/865 की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। रेकॉर्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक 22/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला